

10/12/13
S-12

IN THE HIGH COURT OF JUDICATURE AT PATNA

(Civil Writ Jurisdiction)

C.W.J.C. No.- _____ / of 2013

Sanjay Kumar Petitioner.

V e r s u s

The State of Bihar & others Respondents.

S Y N O P S I S

Relief as prayed :-

This is an application for issuance of writ/writs for quashing the order dated 30.10.2012, passed by the Member, District Teacher's Appointment Appellate Authority, Madhepura in Appeal No.-25/2011.

For issuance of writ/writs, direction/directions commanding the respondents to appoint the petitioner to the post of teacher in Primary School, Kupari, P.O.- Bhatni, P.S.- Kumarkhand, District- Madhepura.

Date and events :-

20.08.2005 A meeting was called for by the respondent no.-7 for selection of Shiksha Mitra.

In the meeting among all the members eight proceedings passed by them and directed to prepare metil list.

(Annexure-1)

Thereafter merit list was prepared of 79 candidates in which the petitioner was at Sl.No.- 49 and respondent no.-9 was at Sl.No.-56.

(Annexure-2)

2.

- 15.12.2005 According to merit list the petitioner was superior than all backward class but the respondent no.-9 appointed to the post.
(Annexure-3)
- 26.12.2005 The petitioner filed representation before Sri Madan Mohan Jha, Commissioner and Secretary, Human Resources Department, Bihar, Patna and also an objection petition filed before the Block Education Extension Officer, Kumarkhand, Madhepura.
(Annexure-4)
- 10.03.2011 The petitioner filed C.W.J.C. No.-10800/2010 in which direction was given to move before Appellate Authority.
(Annexure-5)
- 24.07.2011 The petitioner moved before the Teacher's Tribunal, Madhepura vide Appeal No.-25/2011.
- 30.10.2012 The Appellate Tribunal has rejected the appeal.
(Annexure-6)

Hence this writ application.

IN THE HIGH COURT OF JUDICATURE AT PATNA

(CIVIL WRIT JURISDICTION)

C.W.J.C. No.-_____ / of 2013

Sanjay KumarPetitioner.

V e r s u s

The State of Bihar & others
..... Respondents.

Subject :- Selection (School Service).

I N D E X

<u>Sl.No.</u>	<u>Particulars</u>	<u>Page Nos.</u>
1.	An application with affidavit	1 - 9
2.	<u>Annexure:1:</u> Photo copy of the meeting dated 20.08.2005.....	10-13
3.	<u>Annexure:2:</u> Photo copy of the merit list.....	14-15
4.	<u>Annexure:3:</u> Photo copy of the selection list dated 15.12.2005.....	16-17
5.	<u>Annexure:4:</u> Photo copy of the objection petition dated 26.12.2005.....	18
6.	<u>Annexure:5:</u> Photo copy of the order dated 10.03.2011.....	19
7.	<u>Annexure:6:</u> C.C. of order dated 30.10.2012.....	20-22
8.	<u>V A K A L A T N A M A .</u>	

IN THE HIGH COURT OF JUDICATURE AT PATNA

(Civil Writ Jurisdiction)

C.W.J.C. No.-_____ / of 2013

In the matter of an application
Under Article 226 of the
Constitution of India.

A N D

In the matter of;

Sanjay Kumar, S/O Sri Bindeshwari Singh, resident of village-
Kupari, P.S.- Kumarkhand, District- Madhepura.

..... Petitioner.

Versus

1. The State of Bihar through ~~District Magistrate, Madhepura,~~ *Secretary, Human Resources*
Department, Patna,
2. The District Superintendent of Education, Madhepura,
3. The District Education Officer, Madhepura,
4. Block Development Officer, Kumarkhand, Madhepura,
5. Block Education Extension Officer, Kumarkhand, Madhepura,
6. District Teacher's Appointment Appellate Authority,
Madhepura,

2.

7. Mukhiya, Gram Panchayat Bishanpur Sundar,
Kumarkhand, Madhepura,
8. Panchayat Secretary, Gram Panchayat Bishanpur Sundar,
Kumarkhand, Madhepura,
9. Sanjay Kumar, S/O Sri Shivnandan Singh, resident of village-
Kupari, P.S.- Bhatni, P.S.- Kumarkhand, District-
Madhepura.

..... Respondents.

To,

The Hon'ble Ms. Justice Rekha M. Doshit, the Chief Justice
of the High Court of Judicature at Patna and her companion
Justices of the said Hon'ble Court.

Humble petition on behalf of
the petitioner above named ;

Most Respectfully Sheweth :-

1. That, this is an application for issuance of writ/writs
for quashing the order dated 30.10.2012, passed by
the Member, District Teacher's Appointment Appellate
Authority, Madhepura in Appeal No.-25/2011.
 - a) For issuance of writ/writs, direction/directions
commanding the respondents to appoint the petitioner
to the post of teacher in Primary School, Kupari, P.O.-
Bhatni, P.S.- Kumarkhand, District- Madhepura.

3.

- b) For any other relief/relieves for which the petitioner is entitled by the Hon'ble Court.
2. That, the petitioner is a citizen of India and comes within the Jurisdiction of this Hon'ble Court.
 3. That, the following law points are involved in this case for kinds consideration by the Hon'ble Court :-
 - a) Whether, the petitioner was filed an objection before Block Education Extention Officer, Kumarkhand, Madhepura on 26.12.2005 ?
 - b) Whether, the office bearer namely Bhuwan (Teacher) was on deputation in B.R.C., Kumarkhand along with B.O. 2005 ?
 - c) Whether, the aforesaid teacher was received objection petition on 26.12.2005 and put up his signature upon the copy of objection petition ?
 - d) Whether, the Appellate Tribunal can ignore the receiving of the objection petition shown by the petitioner stating in the order/judgment passed by the Member of the Appellate Tribunal that, the sign of receiver of the objection has been made the objector (petitioner) ?

4.

- e) Whether, the aforesaid act is sustainable in the eye of law without examining the sign by the sign expert ?
- f) Whether, the act of the member is malafide and arbitrary ?
- g) Whether, the receiver of petition/application was duty bound to put stamp (Mohar) upon the receiving receipt ?
- h) Whether, the member has been passed order/judgment in collusion of the respondent no.-9 ?
- i) Whether, the order dated 30.10.2012, passed by the Member, Appellate Tribunal is fit to be quashed ?

4. That, the facts of the case is that, the respondent no.-7 had call for a meeting on 20.08.2005 at about 11:00 A.M. in the Panchayat Bhawan, Laxminia for selection of Shiksha Mitra.

5. That, in the aforesaid meeting among all seven members were present all together eight proceedings were passed by them and according to that a merit list had been directed to prepared.

A photo copy of the meeting dated 20.08.2005 is annexed

5.

herewith and marked as Annexure-1, which forms part to the petition.

6. That, thereafter, the Mukhiya and Secretary, Gram Panchayat Bishanpur Sundar prepared a merit list according to following roster for appointment of Shiksha Mitra of 79 candidates.

7. That, in the aforesaid merit list the petitioner's name was at Sl. No.-49 and respondent no.-9 was at Sl. No.-56, in which the petitioner had shown and possessed total marks in Matriculation- 584, 1st. Division, Intermediate total marks 581, 1st. Division, 64.5% and the respondent no.-9 is Matriculation- 466, 2nd. Division, Intermediate 2nd. Division 614- 51.7% marks.

A photo copy of the merit list is annexed herewith and marked as Annexure-2, which forms part to the petition.

8. That, according to the merit list the petitioner was superior than all backward class but the respondent no.-7 and 8 appointed the respondent no.-9 to the post of Shiksha Mitra malafidly. On 15.12.2005.

6.

A photo copy of the selection list dated 15.12.2005 is annexed herewith and marked as Annexure-3, which forms part to the petition.

9. That, the petitioner and one Mamta Kumari sent representation before Sri Madan Mohan Jha, Commissioner and Secretary, Human Resources Department, Bihar, Patna after appointment of the respondent no.-9, but has not cared for cancellation of appointment of respondent no.-9 and also the petitioner filed an objection before Block Education Extention Officer, Kumarkhand, Madhepura which has been received on 26.12.2005 by a teacher, who was on deputation with B.E.E.O., Kumarkhand.

A photo copy of the aforesaid objection petition dated 26.12.2005 is annexed herewith and marked as Annexure-4, which forms part to the petition.

10. That, thereafter, the petitioner moved before this Hon'ble Court vide C.W.J.C. No.-10800/2010 and on

7.

10.03.2011 the instant case was heard by Hon'ble Mr. Justice Ajay Kumar Tripathi and his Lordships has been pleased to directed the petitioner to first approach before the District Teacher's Appointment Appellate Tribunal in this regard.

A photo copy of the order dated 10.03.2011 is annexed herewith and marked as Annexure-5, which forms part to the petition.

11. That, after obtaining the aforesaid order the petitioner approached before District Teacher's Appointment Appellate Tribunal, Madhepura on 24.07.2012 vide Appeal No.-25/2011.

12. That, the aforesaid appeal was heard by the Appellate Tribunal, Madhepura and the Tribunal has rejected the appeal on 30.10.2012.

A C.C. of the order dated 30.10.2012 is annexed herewith and marked as Annexure-6, which forms part to the petition.

8.

13. That, now the petitioner has no any alternative and efficacious remedy except to move before this Hon'ble Court for redressal of his grievance.

14. That, the petitioner has not moved before this Hon'ble Court earlier at any time against the order dated 30.10.2012 passed by the District Teacher's Appointment Appellate Tribunal, Madhepura.

It is, therefore, prayed that, your Lordships may graciously be pleased to issue rule and after returned of the rule and after hearing the parties allow the relief/relieves made in Para-1 to the writ petition.

And/Or

Pass such other order/orders as your Lordships may deem fit and Proper.

And for this the petitioner shall ever pray.

A F F I D A V I T

I, Sanjay Kumar, S/O Sri Bindeshwari Singh, aged about 36 years, resident of village- Kupari, P.S.- Kumarkhand, District- Madhepura, do hereby solemnly affirm and states as follows :-

1. That, I am petitioner in this case and am well acquainted with the facts and circumstances of this case.
2. That, the contents of this petition have been read upon me and explained to me in Hindi which I have fully understood.
3. That, the statements made in para nos. 1 to 4, 6, 8, 11,
————— are true to my knowledge and the statements
made in para nos. 5, 7, 9, 10, 12 — are true to my
information derived from the records of this case and rests
are by way of submission in this Hon'ble Court.
4. That, the annexures are true/photocopies of their respective originals.

विषय: ...
 ...
 ...
 ...
 ...

...
 ...
 ...

इस्तासगत अद्वैतसिद्ध्या वा इतिहासा

काम: श्री. गुरु - पर - इतिहास.
 श्री. महेन्द्रमुनि - मंविठमन्त्री - श्रीगणेशपूजा

१. श्री सीतारामचन्द्र - अक्षय - सीतारामचन्द्र
 श्री. वि. प. (बं.)

३. श्री गणेशपूजा - अक्षय - गणेशपूजा
 श्री. वि. प. (बं.)

२. श्री महेन्द्रमुनि - अक्षय - महेन्द्रमुनि
 श्री. वि. प. (बं.)

५. श्री सुमुक्तसिंह - अक्षय - सुमुक्तसिंह
 श्री. वि. प. (बं.)

६. श्री राजेश्वर - अक्षय - राजेश्वर
 श्री. वि. प. (बं.)

७. श्री मति - अक्षय - मति
 श्री. वि. प. (बं.)

४.
 पि० शिवा शिवा श्री नियुक्ती हेतु जल आवेदन
 फा ७९ (अनाजी) आवेदन पत्रा को समिति
 श्री अक्षय अक्षय जपा/ श्री अक्षय/विश्वेश्वर
 श्री अक्षय अक्षय श्री अक्षय श्री अक्षय
 सुनाया

प्रस्ताव सं. ३. उच्च में उच्चतम चयन

सूचनाएं जहां सर्वसम्मतिपूर्ण भाषण हर सुरक्षा
जी के अनुबंध डिमा डि विद्यालय शिक्षा
मिग नियोजन हेतु विज्ञान जानकारी के
खंड (उच्च) हम स्वयं प्रस्था/परस्था
जानकारी लेना चारम कुवि - कुल (वर्ग)
कि पंचायत कालगरी विद्यालय वर/ कोरिका
कुल किया है।

प्रस्ताव

प्रस्ताव सं. ३. उच्च में उच्चतम चयन
गुणा में विलेपि विभाजन समित्त
कुला (विपत्ति) विद्यालय शिक्षा मिग
सर्वी विज्ञान जानकारी रखन में ~~उच्चतम~~
के उपस्थित रही चयन समिति में
प्रस्था/परस्था का देव सुन्दर है।
साथ ही साथ बौद्ध समझी आरक्षण
रिक्ती विद्यालय वर/ कोरिका का
जी पूर्ण जानकारी है।

प्रस्ताव सं. ३. उच्चतम चयन वर उच्चतम
निर्देशानुसार मा. उ. लक्षिका के
दिए गए निर्देश का पट्टा बनाया
जाया कि न्युनतम - 45% अथवा अधिकतम -
50% (इन्टरमिडिएट उपवा समकक्ष) के
परिचा में उनीम होनी चारर तथा
अन्यतम योग्यतायारी एक उच्च अर्थात्
अथवा क्राकेव/आवेदिता के अर्थात्
आधिक्यता ही अर्थात् समान
समिति में शिक्षक - शिक्षण
सहित उच्चतम योग्यता वाली एक
माहिला समझी उमीदिता का वी. ज. र. म.
साथ ही साथ महिला के लिए उच्च
साथ में एक पुरुष के लिए न कुल

14- (अध्याय) विधियों पर आदेशों सेना का
 पालन करते हुए शिक्षा आगे का निर्देशानुसार
 ही आदेशों का उम्र 1 जनवरी 05 से
 उमीदवार की अधिकतम 30 वर्ष के अनाधिकतम
 पिछड़ा वर्ग एवं अल्प पिछड़ा वर्ग के उमीदवारों
 के लिए दो वर्ष महिला उमीदवारों के
 लिए तीन वर्ष एवं अन्य जाति/अनुजनजाति
 के लिए पांच वर्ष अधिकतम आयु सीमा
 में धन देने का प्रवधान है

प्रश्न सं- 4: नियोजन अनुबंध पर होगा जो
 नियोजन की अवधि 11 माह के
 लिए मास शिक्षा आयोग पुनः सेवा
 संशोधन के तहत आगे पर उपायत द्वारा
 अनुबंध "ग" में संलग्न प्रवधान
 में जोड़ने के लिए आसप निम्न
 के अनुसार रिक्ति उपलब्ध होने पर
 अधिकतम उपायत माह के लिए पुनः
 अनुबंध पर नियोजन शिक्षा आ
 सेना से सं नियोजन की अवधि में
 उच्च अवकाश सम्मिलित नहीं होगी

प्रश्न सं- 5: उपर्युक्त शर्तों के अधीन
 शिक्षा आ. शिक्षा आ. के अधीन
 औद्योगिक अवकाश को 11
 माह की अवधि के लिए अधिकतम
 तीन बार मात्र 11x3 = 33 बार
 के लिए नियोजित विषय आ होगा
 ए. मानदेय 1500 (पंद्रह सौ) रुपये
 के तहत होगा। मानदेय का अनुमान
 प्रमाण/प्रमाण शिक्षा आ. द्वारा प्रतिदत्ता धार
 अनुपातिक विवरण के अनुसार
 प्रमाण द्वारा 111 कोड के माध्यम से
 अनुमान शिक्षा आ. के तहत

विद्यालय शिक्षा समिति एवं

निरक्षी पदाधिकारी के अ. संख्या 3
आलोच में पंचायत शिक्षा निगम
को ल. सं. को सर्व शिक्षा ध्वजा
देख। निरक्षी की समन उ. का अनुबंध
समाप्ति करे के सर्व शाय 10 का
अनुबंध का अनुबंध होगा। अनुबंध
निर्देशित रूपतः अस्वास्थ्य होगा। यद्यपि
किन्तु शिक्षा विभाग शिक्षा अधीन 3. पर
सर्व शिक्षा जथा है। शिक्षा शत विभाग
समाप्ति करे। अनुबंध का परिचय
समाप्ति है। इसमें निरक्षी अ. की अनुबंध
अनुबंध पर आ करे पर सर्व अनुबंध
निरक्षी समन समिति का होगा।

अनुबंध अ. सं. अनुबंध अ. सं. अनुबंध
पंचायत समिति के द्वारा निर्देशित
है। निरक्षी अनुबंध के पर अनुबंध
निरक्षी अनुबंध के पर अनुबंध
अनुबंध के निर्देशित पर अनुबंध के
अनुबंध अनुबंध के अनुबंध के।

अनुबंध के 8. सर्व समिति से अनुबंध
के द्वारा निर्देशित किया गया
के अनुबंध अ. सं. निर्देशित का अनुबंध
अनुबंध के पर अनुबंध के अनुबंध
अनुबंध निर्देशित पर अनुबंध के
अनुबंध अनुबंध के द्वारा अनुबंध के
निरक्षी अनुबंध के निर्देशित अनुबंध के
अनुबंध अनुबंध के अनुबंध के अनुबंध
अनुबंध अनुबंध के अनुबंध के अनुबंध
अनुबंध के।

01	02	03	04	05	06
46.	राधा कान्त	राधा कान्त	राधा कान्त	Metric 9.A. B.A. M.A.	1st 2nd 2nd 2nd
17.	जगदीश प्रसाद	श्री राम कान्त	श्री राम कान्त	Metric 9.A. B.A. 1st	2nd 1st 1st
18.	गोबिंद प्रसाद	श्री राम कान्त	श्री राम कान्त	Metric 9.A.	1st 2nd
19.	श्री राम कान्त	श्री राम कान्त	श्री राम कान्त	Metric 9.A.	2nd 2nd
20.	ममता कुमारी	श्री राम कान्त	श्री राम कान्त	Metric	2nd
21.	श्री राम कान्त	श्री राम कान्त	श्री राम कान्त	9.A. B.A.	2nd 2nd
22.	श्री राम कान्त	श्री राम कान्त	श्री राम कान्त	Metric 9.A.	3rd 2nd
23.	श्री राम कान्त	श्री राम कान्त	श्री राम कान्त	Metric 9.A.	2nd 2nd
24.	श्री राम कान्त	श्री राम कान्त	श्री राम कान्त	Metric 9.A. B.A. 1st	3rd 2nd 2nd
25.	श्री राम कान्त	श्री राम कान्त	श्री राम कान्त	Metric 9.A. B.A. 1st	3rd 2nd 2nd
26.	श्री राम कान्त	श्री राम कान्त	श्री राम कान्त	Metric 9.A.	2nd 2nd
27.	श्री राम कान्त	श्री राम कान्त	श्री राम कान्त	Metric 9.A.	1st 1st
28.	श्री राम कान्त	श्री राम कान्त	श्री राम कान्त	Metric 9.A.	2nd 3rd
29.	श्री राम कान्त	श्री राम कान्त	श्री राम कान्त	Metric 9.A.	1st 2nd

Sl. No.	Percentage	Value	Date	Remarks	Age
		1000			
3	47%	80			
1	68.8%	800			
0	67.5%	800			
8	72.5%	1500	01-21-1963	4200-00	Age Expa
3		900			
5	60.5%	100			
7	55.4%	500	9-06-1970	34-06-25	Age Expa
8		1200			
1	65%	100	10-07-1976	26-9-10	Age - 15
4		900			
1	64.5%	100	28-11-1976	28-01-04	Age - 15
			25-11-1977	17-11-25	Age
		900			
3	58.6%	100			
8	52.5%	800	16-01-1984	20-11-16	Age
16		900			
16	49.5%	100	05-3-1977	32-9-27	Age - 10
9		900			
7	57.4%	100	02-6-1972	31-6-30	Age - 10
2		900			
2	46.8%	900			
17	48.7%	1000	01-03-1970	34-9-00	Age
0		900			
2	51.3%	100			
5	54.3%	1500	27-05-1974	30-7-05	Age
13		900			
66	51.7%	100	13-6-1977	19-6-19	Age
14		900			
18	68.6%	100	19-2-1978	26-9-13	Age
36		900			
29	33.2%	900	6-8-1970	34-00-26	Age - 45% Marks not obtain
04		900			
28	55.7%	100	25-8-1977	25-10-07	Age - 10

पत्रिका नं. १६७३

पत्रिका नं. १६७३
दिनांक - १५/१०/०५

कुमार रोड, मचेपुरा
निर्माणात्मक लेखन के अन्तर्ग में।

दिनांक - २०-८-०

दिनांक - २५-१-०५
दिनांक - २-०५-०५

दिनांक - २५-१-०५
दिनांक - २-०५-०५
दिनांक - २५-१-०५

अल्लुआ भी है,
का सौदा निम्न(मार्जिन) का सूची

क्र.सं.	नाम	मासिक काम	प्रस्तावित निर्माण का नाम
१
२
३
४
५
६
७
८
९
१०

क्र.सं.	नाम	पता	विकास	वि.सं.	वि.सं.
02	अनारधिव
03	अनारधिव
04	अनारधिव
05	अनारधिव
06	अनारधिव
07	अनारधिव

अनारधिव नामक स्थाने अंकित विद्यालय में पत्र प्राप्त
 कि आपने अनारधिव नामक स्थाने अंकित विद्यालय में पत्र प्राप्त
 कि आपने अनारधिव नामक स्थाने अंकित विद्यालय में पत्र प्राप्त
 कि आपने अनारधिव नामक स्थाने अंकित विद्यालय में पत्र प्राप्त
 कि आपने अनारधिव नामक स्थाने अंकित विद्यालय में पत्र प्राप्त
 कि आपने अनारधिव नामक स्थाने अंकित विद्यालय में पत्र प्राप्त

मुख्यमंत्री
 शांतिपुर
 शांतिपुर

मुख्यमंत्री शांतिपुर शांतिपुर शांतिपुर शांतिपुर
 शांतिपुर शांतिपुर शांतिपुर शांतिपुर शांतिपुर
 शांतिपुर शांतिपुर शांतिपुर शांतिपुर शांतिपुर
 शांतिपुर शांतिपुर शांतिपुर शांतिपुर शांतिपुर
 शांतिपुर शांतिपुर शांतिपुर शांतिपुर शांतिपुर

मुख्यमंत्री शांतिपुर शांतिपुर शांतिपुर शांतिपुर
 शांतिपुर शांतिपुर शांतिपुर शांतिपुर शांतिपुर

विषय - नियोजन रद्द करने के संबंध में।

महाशय,

निवेदन पूर्वक कहना है कि मैं संजय कुमार
पिता - श्री विन्देश्वरी सिंह, ग्राम - कुपाडी, पोस्ट - अन्ननी
पंचायत - विसनपुर सुन्दर का निवासी हूँ। मैं विसनपुर
सुन्दर पंचायत में वर्ष 2005 के पंचायत शिक्षा मित्र
नियोजन हेतु आवेदन दिया हूँ। मैं अत्यन्त पिछड़ा
वर्ग कोटि का हूँ। मुझे मैट्रिक में $\frac{584}{900}$ तथा
इन्टर में $\frac{581}{900}$ अंक प्राप्त हैं। अत्यन्त पिछड़ा वर्ग
कोटि के अन्तर्गत मेरा नियोजन नहीं करके पंचायत
सचिव द्वारा मोदी शर्मा लेकर संजय कुमार, पिता -
श्री शिवनन्दन सिंह का नियोजन कर दिया गया है।
जो मैट्रिक तथा इन्टर द्वितीय श्रेणी से उत्तीर्ण है।

अतः श्री मात्र से प्रार्थना है

कि संजय कुमार, पिता - श्री शिवनन्दन सिंह का नि-
योजन रद्द करने हेतु अत्यन्त पिछड़ा वर्ग कोटि के
अन्तर्गत मेरा नियोजन करने की कृपा की जाय।

प्रार्थी

संजय कुमार

पिता - श्री विन्देश्वरी सिंह
ग्राम - कुपाडी, पो - अन्ननी
पंचायत - विसनपुर सुन्दर

पिता
श्री
26/11/05

DEPARTMENT OF POST
 BIHAR CIRCLE
COURT FEE
 AUTH NO. 3185 DT. 16/12/2008

STAMP DUTY
 80000
 000002
 12.3.2011

BIHAR
 372403
 INDIA

IN THE HIGH COURT OF JUDICATURE AT PATNA
 CWJC No.10808 of 2010
 1. SANJAY KUMAR S/O SRI BINDESHWARI SINGH R/O
 VILL KUPARI, P.S.KUMARKHAND, DISTT-MADHEPURA
 Versus
 1. THE STATE OF BIHAR THROUGH DISTRICT
 MAGISTRATE MADHEPURA
 2. THE DISTRICT SUPERINTENDENT OF EDUCATION
 MADHEPURA
 3. THE DISTRICT EDUCATION OFFICER MADHEPURA
 4. BLOCK DEVELOPMENT OFFICER KUMARKHAND,
 MADHEPURA
 5. BLOCK EDUCATION EXTENTION OFFICER
 KUMARKHAND, MADHEPURA
 6. MUKHIYA , GRAM PANCHAYAT BISHANPUR
 SUNDAR, KUMAR KHAND, MADHEPURA
 7. PANCHAYAT SECRETARY, GRAM PANCHAYAT
 BISHANPUR SUNDAR, KUMAR KHAND, MADHEPURA
 8. SANJAY KUMAR S/O SRI SHIVNANDAN SINGH R/O
 VILL KUPARI, P.S.BHATNI, P.S.KUMARKHAND, DISTT-
 MADHEPURA

2 10/03/2011 Let the petitioner first approach the District
 Teachers Appointment Appellate Authority in this
 regard. This Court will not interfere or delve into the
 matter at this stage.

This writ application is dismissed with the liberty
 aforesaid.

AMIN/ (Ajay Kumar Tripathi, J.)

VERIFIED TO BE TRUE PHOTO COPY
 For Joint Registrar (J)
 Patna High Court
 15/3/2011
 42/1921/2011

जिला शिक्षक नियोजन अपीलिय प्राधिकरण, मधेपुरा

अपील नम्बर 25/2011

संजय कुमार, पिता विन्देश्वरी सिंह – वादी

बनाम


संजय कुमार पिता शिवनंदन सिंह— मुदालह

आदेश



यह अपील संजय कुमार पिता विन्देश्वरी सिंह ने ग्राम पंचायत विसनपुर सुन्दर प्रखंड कुमारखंड के अन्तर्गत शिक्षा मित्र नियोजन वर्ष 2005 में शिक्षा मित्र में नियोजन में बरती गई अनियमितता के खिलाफ दायर किया है। वादी संजय कुमार का आरोप है कि उपरोक्त वर्णित पंचायत में वे शिक्षा मित्र में नियोजन हेतु आवेदन दिया था परन्तु नियोजन इकाई ने इनसे कम वेटेज प्राप्त प्रतिवादी का नियोजन किया। जिसके खिलाफ वे प्रखंड विकास पदाधिकारी एवं अन्य को ससमय आपत्ति दिया था। परन्तु पदाधिकारीगण किसी तरह का कार्रवाई नहीं किया तो वादी ने अपील उच्च न्यायालय पटना में रिट नम्बर 10808/10 दायर किया था जिसे माननीय उच्च न्यायालय पटना ने 10.03.11 को खारिज किया और वादी को प्राधिकार के यहां अपील दायर करने की छुट दी। तब वादी ने दिनांक 25.06.11 को प्राधिकार के यहां अपील दायर किया।

02. नियोजित शिक्षक संजय कुमार पिता शिवनंदन सिंह उपस्थित होकर अपना प्रति उत्तर दाखिल किया है। इनका प्रतिउत्तर यह है कि प्रतिवादी का नियोजन विधिवत रूप से दिनांक 15.12.2005 को हुआ और वे दिनांक 19.12.2005 को सरकारी प्राथमिक विद्यालय कुपारी में योगदान दिया और विभागीय निर्देशानुसार वे प्रशिक्षण प्राप्त किया और वे प्रशिक्षित शिक्षक है। इनका यह भी कथन है कि शिक्षा मित्र में नियोजन ग्यारह महीना के लिए संविदा पर हुआ था और ग्यारह महीना के बाद इनका पुनः नियोजन हुआ। बिहार पंचायत शिक्षक नियमावली वर्ष 2006 के संकल्प 1082 दिनांक 18.07.06 के अनुसार इनको पंचायत शिक्षक सरकार के आदेशानुसार बना दिया गया है। इनका पहली कथन है कि माननीय उच्च न्यायालय पटना के न्यायादेश के अनुसार शिक्षा मित्र नियोजन में बरती गई अनियमितता के खिलाफ अगर अपील एक



महीना के अन्दर वापर नहीं किया गया है तो अपील कालबाधित माना जायगा।

03. इस अपील के निर्णय हेतु निम्नांकित न्याय बिन्दु गठित किया जाता है।

क) क्या अपील कालबाधित है?

ख) क्या सरकार के अधिसूचना 1082 दिनांक 18.07.06 के आलोक शिक्षा मित्र को पंचायत शिक्षक का दर्जा प्राप्त होने के बाद क्या उनके नियोजन पर प्रश्न चिन्ह लगाया जा सकता है?


ग) क्या अपील चलने योग्य है?

सबसे मुख्य न्याय बिन्दु नम्बर 2 है जिसपर पहले मैं अपना विवेचना कर रहा हूँ। अधिसूचना 1082 दिनांक 18.07.06 के आधार पर कार्यरत शिक्षा मित्र को पंचायत शिक्षक का दर्जा बिहार सरकार ने दिनांक 01.07.2006 से दिया है। माननीय उच्च न्यायालय पटना ने रिट सं० 5992/2008 मो० मुनुस बनाम बिहार सरकार के मामले में माननीय उच्च न्यायालय पटना ने न्यायादेश दिए हैं कि जो शिक्षा मित्र 2005 से कार्यरत थे और प्रत्येक ग्यारह महीना के बाद उनके कार्यकलाप संतोष जनक पाए जाने के बाद उनका अवधी विस्तार किया गया और 01.07.2006 से वे पंचायत शिक्षक हो गए हैं अतः उनका प्रथम चयन को आधार पर उनके नियोजन को परिवर्तित नियमों के आधार पर प्रश्न चिन्ह नहीं लगाया जा सकता है। इस अपील का विषय बिन्दु एवं उपर वर्णित न्यायादेश का विषय बिन्दु एक ही तरह का है। अतः प्रतिवादी के नियोजन को रद्द नहीं किया जा सकता है। अतः यह न्याय बिन्दु प्रतिवादी के पक्ष में निर्णित किया जाता है।

05. अब न्याय बिन्दु एक पर विवेचना करना आवश्यक प्रतीत होना है। वादी ने अपने कथन में कहा है कि नियोजन तिथि 15.12.2005 के एक महीना के अन्दर उसने आपत्ति दिनांक 26.12.2005 प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी को दिया था। जिसका फोटो कॉपी दाखिल किया है जिसके अवलोकन से पता चलता है कि इस तरह का प्राप्ति रसीद बनाया जा सकता है। इस पर किस पदाधिकारी का मोहर नहीं है। नियोजन के पांच साल बाद माननीय उच्च न्यायालय में रिट किया है। इस तरह यह स्पष्ट है कि अपील काल बाधित है। माननीय उच्च न्यायालय पटना ने रिट सं० 10965/2009



1.2.2008
30/12/08





में प्रमाणित किया है। यदि अपीलकर्ता के नियोजन के खर्चाफे एक ही समय में अपील
आपत्ति नहीं मान्यता किन्ना गया हो तो अपील काल बाधित माना जायेगा। उपरोक्त
तथ्यों के आधार पर यह सिद्ध होता है कि अपील काल बाधित है।
जहाँ तक वेटेज का प्रश्न है। प्रथम नियोजन के समय वादी को ज्यादा अंक था
लेकिन अब प्रतिवादी ने प्रशिक्षण प्राप्त कर लिया है और विभिन्न तरह का प्रशिक्षण
भी प्राप्त किया है।

07. उपरोक्त वर्णित तथ्यों के आधार पर यह अपील चलने योग्य है। अतः अपील खारिज
किया जाता है।

प्रमाणिकरण शुल्क

13 = 00
तुलन लिपिके

14-11-12

COMPARED BY

Comparing Clerk

14-11-12

सदस्य

30-10-12

जिला शिक्षक नियोजन

अपीलीय प्राधिकार, मधुपुरा

Certified to be a true

Head Clerk

U/S 76 Act, 1 of 1872



Application For Copy Rs. 10 = 00
Searching Fee.....
Copies Fee for Urgency.....
Folio.....
Other Fee if any..... 3 = 00

13 = 00

Comparing Clerk

14-12-12